



## प्रेस नोट

थाना बिवांर

दिनांक 22.04.2024

# थाना बिवांर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 22/04/2024 को थाना बिवांर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शेखर सिंह पुत्र छोटा सिंह (उम्र करीब 30 वर्ष) नि० ग्राम छानी बुजुर्ग थाना बिवांर जनपद हमीरपुर को एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बिवांर पर मु०अ०सं०111/2024 धारा 3/25 A ACT उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर मा० न्यायालय भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

शेखर सिंह पुत्र छोटा सिंह उम्र करीब 30 वर्ष नि० ग्राम छानी बुजुर्ग थाना बिवांर जनपद हमीरपुर (हिस्ट्रीशीटर नं० 1B)

### बरामदगी का विवरण:

एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद  
अभि० शेखर सिंह उपरोक्त का आपारधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 301/2009 धारा 323/504/506 I.P.C
2. मु०अ०सं० 161/2010 धारा 147/148/304/323/504/506 I.P.C
3. मु०अ०सं० 302/2013 धारा 13 G ACT
4. मु०अ०सं० 662/2013 धारा 3 UP GUNDA ACT
5. मु०अ०सं० 747/14 धारा 307/323/504/506 I.P.C
6. मु०अ०सं० 144/15 धारा 286/504/506 I.P.C
7. मु०अ०सं० 184/16 धारा 354ख/506 I.P.C व 12 पाक्सो एक्ट
8. मु०अ०सं० 619/2016 धारा 3 UP GUNDA ACT
9. मु०अ०सं० 158/17 धारा 323/504/506 I.P.C व 3(1)10 SC/ST ACT
10. मु०अ०सं० 224/17 धारा 3 UP GUNDA ACT
11. मु०अ०सं० 64/19 धारा 3/25 A ACT

12.मु0अ0सं0 09/2022 धारा 3/25 A ACT

13.मु0अ0सं0 143/2022 धारा 323/325/504/506 I.P.C

14.मु0अ0सं0 297/2023 धारा 323/341/427/504/506 I.P.C

15.मु0अ0सं0 111/2024 धारा 3/25 A ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 मनोज कुमार शर्मा

2.हे0का0 राहुल त्रिपाठी

3.का0 हरिनन्दन सिंह

